न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 09/11–12, टी0आर0 न0 135/20–21

कार्यपालक अभियंता, लोहरदगा – अधियाची विमाग
बनाम
करमा मुण्डा, ग्राम–कोकर, कुड्डु, लोहरदगा। देनदार

अभिलेख उपस्थापित।

<u>आदेश</u>

यह नीलाम पत्र वाद कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, लोहरदगा द्वारा दिनांक 9.2.10 को श्री करमा मुण्डा, ग्राम–कोकर, कुड्डु, लोहरदगा के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु फाईल किया गया। जहाँ पर धारा 7 के अतर्गत 19.01.13 को निर्गत किया गया उसी नोटिस पर चौकीदार कमलेश लोहरा द्वारा तामिला में लिखा है कि करमा मुण्डा की मृत्यु हों गई। इसके बाद बॉडी वारंट भी निर्गत किया गया। बॉडी वारंट में भी थाना के द्वारा तामिला प्रतिवेदन चौकीदार के माध्यम से कराया गया जहाँपर चौकीदार बॉडी वारंट के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ 2 पंचायत समिति के सदस्य एवं मुखिया के गवाहन पर वापस किया गया। तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, लोहरदगा को एवं करमा मुण्डा के उत्तराधिकारी एवं स्थान पता उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया किन्तु कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, लोहरदगा द्वारा न तो उपस्थिति दी गई और न किसी तरह का प्रतिवेदन ही समर्पित किया गया। बिजली विभाग को कार्यालय पत्रांक क्रमशः 5.1.18, 38/9.2.18, 79/10.3.18, 107/4.5.18, 121/8.6.18, 132/13.7.18, 139/10.8.18, 142/20.8.18, 187/12.8.18, 170/24.10.18, 183/24.10.18, 191/29.12.18, 12/30.1.19 एवं 1235/13.919 के द्वारा लिखा गया किन्तु बिजली विभाग के द्वारा न तो किसी तरह का रूचि लिया गया और न इस पर कार्रवाई में सहयोग ही किया गया। ऐसा लगता है कि बिजली विभाग को इस पर किसी तरह की

	कार्रवाई आपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में इस वाद को नीलाम पत्र के प्रावधान के तहत धारा 53 (2) के अन्तर्गत वाद की कार्रवाई समाप्त/बन्द किया जाता है इस आदेश सूचना विद्युत विभाग, लोहरदगा को संसूचित की जाय। सत्यापित/लेखापित जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, लोहरदगा

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2024.06.26 18:07:38 +05:30
Location: 10.93.49.26